

R 1747-I/17 छतरपुर

समक्ष में- माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म.प्र.

पुनरीक्षण क्रमांक

किशोरी लाल तनय भरोसे दुवे

निवसी - छतरपुर तहसील व जिला - छतरपुर म.प्र.

निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

..... गैरनिगरानीकर्ता
/ अनावेदक पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश दिनांक 19/5/17 जो 19/05/17
छतरपुर द्वारा ममाला क्रमांक 52/अक्रअ/2016-2017 को पारित किया।

श्रीमान् ,


पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित निवेदन सादर प्रस्तुत करना

है:-

1-यह कि पुनरीक्षणकर्ता का संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि आवेदक को सक्षम अधिकारी नायब तहसीलदार छतरपुर द्वारा दिनांक 20/11/1976 को नामांतरण पंजी क्रमांक 22 वर्ष 1975-76 के द्वारा भूमि स्वसरा नं. 841 के अंश भाग का गैर हकदार से भूमि स्वामी किए जाने का आदेश पारित किया था लेकिन ग्राम पटवारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाहन न कर उक्त आदेश दिनांक 20/11/1976 का अमल राजस्व अभिलेखों में नहीं किया वलिक मनमाने रूप से शासन म.प्र भूमि पर वगैर किसी समक्ष अधिकारी के आदेश के लेख कर दी ।

2-यह कि प्रश्नगत भूमि का स्वामी होने के कारण आवेदक द्वारा अपनी भूमि पर पहले कच्चा तत्पश्चात् पक्का मकान बना लिया जो

निवेदन



15

R-1747-I/17 हाउस
किशोरी लाल / हाउस

2

21-9-18

आवेक अमि. श्री सुनील सिंह
जदौन 30) रिकार्ड की मांग हो

दि - 10-10-18

आवेक
PR

10/10/2018

- (1) प्रकार प्रस्तुत आवेक अमि. श्री सुनील जादौन एवं शासकीय अमि. श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित।
- (2) आवेक आदिनामक अपने निगलने आवेक को चलाता नहीं चाहते हैं, उनके द्वारा Not Press of Application का अनुरोध किया है।
- (3) शासकीय अमि. को उनके अनुरोध पर आपत्ति नहीं है।
- (4) दिनांक 07/09/2017 की आवेक पंजिका अनुसार आवेक का केपेक ग्राह्य किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अमिलेख मांगा गया था, जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होने के कारण नसी में संलग्न नहीं है।
- (5) आवेक अमि. के अनुरोध को स्वीकार किया जाकर प्रकार इसी स्तर पर समाप्त किया जा रहा है।
- (6) अधीनस्थ न्यायालय को अमिलेख नहीं मिलने हेतु भी लिखा जा रहा है।

hpr
10.10.18